

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 193वीं बैठक  
दिनांक 29.05.2006 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 193 वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :-

|     |                            |   |         |
|-----|----------------------------|---|---------|
| 1.  | श्री चितरंजन स्वरूप        | अध्यक्ष,<br>उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद                             | अध्यक्ष |
| 2.  | श्री के0एल0 मीना           | सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग<br>उ0प्र0 शासन।                    | सदस्य   |
| 3.  | डॉ एम0ए0ए0खान              | आवास आयुक्त<br>उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद                          | सदस्य   |
| 4.  | श्री बी0बी0 सिंह           | उपाध्यक्ष,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ                            | सदस्य   |
| 5.  | श्री मुकेश मित्तल          | विशेष सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त<br>उ0प्र0 शासन।            | सदस्य   |
| 6.  | श्री दीन दयाल              | विशेष सचिव, प्रतिनिधि, सचिव<br>सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन   | सदस्य   |
| 7.  | श्रीयुत श्रीप्रकाश सिंह    | विशेष सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव<br>नगर विकास, उ0प्र0 शासन        | सदस्य   |
| 8.  | श्री एन0आर0वर्मा           | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक<br>उ0प्र0।                               | सदस्य   |
| 9.  | श्री आर0के0 गर्ग           | उप निदेशक, प्रतिनिधि<br>निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की                | सदस्य   |
| 10. | श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ जोन, प्रतिनिधि<br>निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ | सदस्य   |
| 11. | श्री एस0एन0राम             | मुख्य अभियन्ता<br>उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद                       | सदस्य   |

विशेष आमंत्री

|     |                   |  |
|-----|-------------------|--|
| 12. | श्री एच0डी0 सिंह  | वित्त नियन्त्रक  |
| 13. | श्री सी0एन0 हर्डे | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद<br>मुख्य वास्तुविद नियोजक<br>उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद |

सर्वप्रथम आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात

परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

| मद सं०  | विषय  | निर्णय  |
|---------|---|---|
| 193 / 1 | परिषद की 192वीं बैठक दिनांक 10.11.2005 के कार्यवृत्त की पुष्टि। | परिषद की 192 वीं बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया गया, जिसकी पुष्टि की गयी।  |
| 193 / 2 | परिषद की 192वीं बैठक दिनांक 10.11.2005 की अनुपालन आख्या।        | अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।<br>मद संख्या 192/74 के निर्णय में ई0डब्लूएस0 श्रेणी के भवनों पर देय ब्याज दर अन्य वित्तीय संस्थाये/बैंक के प्रचलित ब्याज दरों के अध्ययन करने के उपरान्त निर्धारित करने पर विचार करने के सम्बन्ध में सचिव आवास ने अवगत कराया कि विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद हेतु देय ब्याज निर्धारित करने की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है।<br>निर्णय लिया गया कि शासन के आदेश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाये। |

### अभियन्त्रण अनुभाग

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 193 / 3 | परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची प्रथम एवं द्वितीय। | परिषद की सूची इस निर्देश के साथ अवलोकित की गयी कि वित्तीय स्वीकृत का अधिकार विभिन्न स्तरों पर निदेशक मण्डल द्वारा अधिकृत किया जा चुका है। भविष्य में उसी के अनुसार कार्यवाही की जाये। |
|---------|---|---|

### वित्त एवं लेखा अनुभाग

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 193 / 4 | वित्तीय वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित व वित्तीय वर्ष 2006–07 के प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) के संबंध में। | वित्तीय वर्ष 2006–07 का आय-व्ययक इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि परिषद अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करें। कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पूँजीगत अनुरक्षण मद में प्राविधान के स्थान पर निर्देश दिया गया कि गत वर्ष के आय-व्ययक में व्यवस्था के अनुरूप ही इनके वेतन आदि का भुगतान किया जाए। |
| 193 / 5 | वित्तीय वर्ष 2003–04 की बैलेन्स शीट/वार्षिक लेखों के संबंध में।                                      | वित्तीय वर्ष 2003–04 की बैलेन्सशीट एवं लेखों का अनुमोदन किया गया। यह निर्देश दिया गया कि नोट्स आफ एकाउन्ट्स में उल्लिखित बिन्दुओं का एक वर्ष में अनुपालन किया जाए।   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 193/6 | बैंकों द्वारा परिषद की धनराशियों के प्रेषण में विलम्ब की अवधि के कारण ब्याज की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु विलम्बित अवधि के लिए ब्याज दर के निर्धारण के संबंध में। | यह निर्देश दिया गया कि 6 प्रतिशत के अनुसास बैंकों से क्षतिपूर्ति रानव-सीमा के अन्तर्गत की जाय। जो बैंक क्षतिपूर्ति न करे उनके विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में बाद दायर कर कार्यवाही कराई जाय। उनके खाते बन्द कर दिए जायें तथा उनके पास जो एफ0डी0आर0 हों, उन्हें आहरित कर लिया जाए। |
|-------|---|--|

### प्रशासन अनुभाग

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 193/7  | लिपिकीय संवर्ग में पदों के उच्चीकरण के संबंध में।   | मार्डन मैनेजमेण्ट कन्सेप्ट के अनुसार परीक्षण करके प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। पिकप लखनऊ में प्रचलित व्यवस्था को भी देखा जाये। |
| 193/8  | परिषद कार्मिकों को वर्ष 1988 से दिए जा रहे चिकित्सा भत्ता रु0 30.00 में वृद्धि किये जाने के संबंध में।        | निर्देश दिया गया कि अन्य विभागों में जारी व्यवस्था का अध्ययन करके पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।                            |
| 193/9  | अधीक्षण अभियंता के पद पर स्थायी किए जाने के संबंध में।  | अनुमोदित किया गया।   |
| 193/10 | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (सेवा की शर्त विनियम-1966) के प्राविधानों में संशोधन किए जाने के संबंध में। | अनुमोदित किया गया।   |

### वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 193/11 | परिषद योजनाओं में सामुदायिक क्लबों (Community Clubs) को प्रस्तावित किया जाना।  | इस निर्देश के साथ स्थगित किया गया कि पुनः परीक्षण कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। |
| 193/12 | परिषद की गाजियाबाद स्थित वसुन्धरा योजना में मै0 अग्रवाल एसोसियेटेस (प्रमोटर्स) को सेक्टर-5 में आवंटित भूखंड स0 जी0एच0-8 में क्रय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य करने के संबंध में। | स्थगित किया गया।   |

Meena

Chand

## भूमि अर्जन अनुभाग

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 193 / 13 | <p>जिगर विहार योजना (दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-5) मुरादाबाद में समाविष्ट दमदमा कोठी, आई0टी0आई0 शेड्स एवं उससे संलग्न भूमि के सम्बन्ध में।</p> | <p>श्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रत्यावेदन को विचारोपरान्त निरस्त करने का निर्णय लिया गया।</p>  |
| 193 / 14 | <p>सुल्तानपुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना लखनऊ के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 544 दिनांक 5.04.2006 द्वारा दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p>          | <p>उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना लखनऊ में 4085.43 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु परिषद बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासन को भेजे गये प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या 544 दिनांक 05.04.2006 द्वारा परिषद को अपनी आवश्यकता एवं भवन भूखण्ड विकसित करने की क्षमता के दृष्टिगत प्रस्ताव परिषद बोर्ड में रखने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त इसी योजना में समाविष्ट भूमि के सम्बन्ध में हाईटेक टाउनशिप बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2712-8-1-05 दिनांक 21.05.05 की योजना में प्रस्तावित भूमि पर उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सैद्वान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान करने हेतु संस्तुत पुनरीक्षित डी.पी.आर. के सम्बन्ध में मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार विमर्श के उपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 5457 दिनांक 30.12.2005 के प्रस्तर-3 तथा आवास शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2915 दि0 18.5.2006 के प्रस्तर-6.14 में दिये गये प्राविधान के दृष्टिगत परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना में हाईटेक टाउनशिप विकसित करने हेतु विकास कर्ता कम्पनी (मेसर्स अंसल प्रापर्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि�0) के पक्ष में धारा-28 के प्रस्तव में सम्मिलित भूमि में से 1765 एकड़ भूमि को परिषद अधिनियम की धारा-32 से छोड़ जाने का इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि सुल्तानपुर रोड से शहीद पथ के समान्तर उत्तरेठिया रेलवे लाइन तक न्यूनतम 100 मी0 चौड़ा मार्ग विकासकर्ता कम्पनी अपने व्यय पर निर्मित करेगी।</p> |

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

| मद सं०   | विषय  |   |
|----------|---|---|
| 193 / 15 | झूँसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 728/1 के विलम्ब शुल्क के संबंध में।   | प्रस्ताव निरस्त किया गया।                             |
| 193 / 16 | विकास नगर योजना, गोरखपुर में अवशेष लगभग 600 से अधिक सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में।   | अनुमोदित किया गया।                                    |
| 193 / 17 | हंसपुरम योजना संख्या-2 कानपुर में निर्मित भवनों को मूल मूल्यांकन पर आवंटित किए जाने के संबंध में।   | अनुमोदित किया गया।                                    |
| 193 / 18 | लोहियापुरम योजना फतेहगढ़ के भूखण्ड संख्या 2बी/107 में छूट दिए जाने के संबंध में।  | प्रस्ताव निरस्त किया गया।                             |
| 193 / 19 | परिषद की भरतपुरी योजना गोण्डा के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 34 के आर0सी0 एवं ब्याज माफी के संबंध में।   | केवल अतिरिक्त ब्याज माफ किये जाने का निर्णय लिया गया। |
| 193 / 20 | परिषद की सत्यवान पुरी कटरा योजना, बस्ती में स्व0 राजमणि प्रसाद के पक्ष में आवंटित ई0डब्लू0एस0 भवन सं-629 के विरुद्ध देय ब्याज की माफी के संबंध में। | प्रस्ताव वापस लिया गया।                               |
| 193 / 21 | परिषद की काशीपुर योजना संख्या-2 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या सी-17 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि पर लगाए गए ब्याज को माफ करने के संबंध में।            | प्रस्ताव निरस्त किया गया।                             |
| 193 / 22 | परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ स्थित भवन संख्या 11/1136 के विरुद्ध देय विलम्ब शुल्क एवं दण्ड ब्याज माफ किए जाने के संबंध में।             | निर्णय लिया गया कि ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जाये।         |

Mean

11/11

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 193 / 23 | प्रह्लाद पुरी योजना, हरदोई स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या बी-11 के विरुद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ किए जाने के संबंध में।  | प्रस्ताव वापस लिया गया।                                     |
| 193 / 24 | परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ में श्री तेज प्रताप सिंह को आबंटित भवन संख्या-892 का मूल्य वर्ष 1991 के दर पर दिए जाने के संबंध में।   | प्रस्ताव निरस्त किया गया।                                   |
| 193 / 25 | इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 24/जी०एच० 104 के विरुद्ध हदबरारी विवाद निस्तारित होने तक किस्तों को स्थगित रखने एवं इस पर ब्याज न लिए जाने के संबंध में। | प्रस्ताव वापस लिया गया।                                     |
| 193 / 26 | संजय बिहार योजना संख्या-2, हापुड़ में आबंटित भूखण्ड संख्या बी-97 के विरुद्ध देय विलम्ब शुल्क के संबंध में।  | प्रस्ताव निरस्त किया गया।                                   |
| 193 / 27 | भवन संख्या 2ए/259 पर लगाए गए ब्याज को माफ करने के संबंध में।  | प्रस्ताव निरस्त किया गया।                                   |
| 193 / 28 | सुहाग नगर फिरोजाबाद में आबंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-7/2 की 24 प्रतिशत दण्ड ब्याज व विलम्ब शुल्क की धनराशि को माफ करने के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया।                                   |
| 193 / 29 | योजना संख्या-1 बुलन्दशहर में आबंटित आवासीय भूखण्ड संख्या-63ए व 63बी का दण्ड ब्याज माफ करने के संबंध में।  | ओ०टी०एस० के नियमों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये। |
| 193 / 30 | वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में श्रीमती सुनीता पत्नी श्री प्रभुदयाल को आबंटित भूखण्ड संख्या 16बी/ 192/3, के देय ब्याज की माफी के संबंध में।  | प्रस्ताव वापस लिया गया।                                     |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 193 / 31 | विकास नगर योजना, लखनऊ में श्री सत्येन्द्र कुमार को आबंटित भूखण्ड संख्या 2/681 के विरुद्ध देय ब्याज/दण्ड ब्याज की धनराशि को माफ किए जाने के संबंध में। | स्थगित  |
| 193 / 32 | योजना संख्या-1 हथरस में श्रीमती शिव कुमारी गुप्ता को आबंटित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 1/296 के संबंध में।   | निर्णय लिया गया कि साधारण ब्याज माफ नहीं किया जा सकता, अतिरिक्त ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है। |
| 193 / 33 | वसुन्धरा योजना गाजियाबाद स्थित भवन संख्या-16 / 244 के आबंटन के संबंध में।   | प्रस्ताव स्थगित किया गया।   |
| 193 / 34 | शास्त्री नगर योजना संख्या-3 मेरठ स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या के-1 के विरुद्ध आरोपित ब्याज माफी के संबंध में।   | प्रस्ताव स्थगित किया गया।   |

### भूमि अर्जन अनुभाग

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| 193 / 35 | वसुन्धरा योजना संख्या-3, गाजियाबाद के खसरा संख्या-368/1 क्षेत्रफल 2-1-6 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 36 | मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 भाग-2 मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या 970, 973, 974, 975, 976, 977/2, 978/3, 972/1, 959/1 व 960/2 की भूमि के संबंध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 37 | वृन्दावन योजना संख्या-2, लखनऊ में खसरा संख्या 103 की भूमि के संबंध में।   | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 38 | कमला नगर (घटवासन) योजना आगरा में अर्जित खसरा संख्या 645 रकबा 0-8-14 बीघा भूमि को वर्तमान व्यावसायिक दर पर आबंटित किए जाने के संबंध में।                                 | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |

Mean

Point

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| 193 / 39 | कमला नगर आगरा में समाविष्ट खसरा संख्या 759 व 761 की 600 वर्गमीटर भूमि के संबंध में।   | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 40 | कुर्सी रोड विस्तार (विकास नगर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली परगना व तहसील लखनऊ स्थित खसरा संख्या 270 की क्षेत्रफल 1620 वर्गफुट भूमि के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 41 | उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की इटावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 में श्री सूर्य प्रकाश मिश्र के खसरा संख्या 305/2 ग्राम परेड छावनी क्षेत्रफल 2.23 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त/पृथक करने के संबंध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 42 | परिषद की योजना संख्या-1 कानपुर के ग्राम विनायकपुर के अन्तर्गत खसरा संख्या-70 रकबा 1-0-0 बीघा श्रीमती मंजुलता सिंहल की भूमि के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 43 | परिषद की कमला नगर योजना, आगरा के सेक्टर-6 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0-6/1 के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 44 | दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद में समाविष्ट खसरा सं0 2558/2 डा0 वीरसेन सरोहा, पूर्व सदस्य विधान परिषद की भूमि के संबंध में।  | प्रस्ताव निरस्त किया गया। |
| 193 / 45 | गाजियाबाद योजना संख्या-3 में समाविष्ट सर्व श्री दयानन्द आदि की भूमि का वास्तविक विकास व्यय के स्थान पर परिषद अधिनियम की धारा-50 के अन्तर्गत बेटरमेन्ट चार्जेज लेने के संबंध में।                                | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |

25

Man

01/01/2021

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| 193 / 46 | परिषद की वृन्दावन योजना संख्या संख्या-1 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उत्तरेटिया के खसरा संख्या-380 रकबा 1-1-0 बीघा भूमि के बदले वृन्दावन योजना संख्या-2 लखनऊ में खसरा संख्या 405, 406 एवं 407 की 1-1-0 बीघा भूमि श्रीमती शील प्रकाश, अध्यक्ष ए0एस0पब्लिक स्कूल को बेटरमेन्ट चार्ज (Betterment charges) लेकर दिए जाने के संबंध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 47 | इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ (बस्तौली गाजीपुर) में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सड़कनिशा खसरा संख्या 563 व 564 में समाविष्ट 6400 वर्ग फुट भूमि के संबंध में।   | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 48 | वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट खसरा संख्या 2659 ग्राम हैवतमऊ मवैया की कुल क्षेत्रफल 1-0-0-0 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 49 | भूमि खसरा संख्या-516 रकबा 1057 वर्ग गज स्थित औरंगशाहपुर छिंगी, जागृति बिहार योजना संख्या-6, मेरठ के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 50 | परिषद की नेहरू नगर योजना देहरादून में स्थित खसरा संख्या 58 क्षेत्रफल 0-10-0 विस्वा एवं खसरा संख्या 68 क्षेत्रफल 0-15-0 कुल क्षेत्रफल 1-5-0 बीघा भूमि के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 51 | परिषद की नेहरू नगर योजना देहरादून में स्थित खसरा संख्या 92 व 96 की 1.41 एकड़ भूमि को अर्जन मुक्त/समायोजित करने के संबंध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 52 | वृन्दावन योजना संख्या-2, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उत्तरेटिया के खसरा संख्या 550 की 125X45 वर्ग फुट भूमि को योजना में समायोजित/अर्जन मुक्त किए जाने के संबंध में।   | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |

|          |  |                           |
|----------|--|---------------------------|
| 193 / 53 | परिषद की बेतिया हाता दक्षिणी योजना, गोरखपुर में 1.90 एकड़ भूमि अर्जन मुक्त की शर्तों के परिवर्तन के संबंध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
|----------|--|---------------------------|

### वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

|          |  |                           |
|----------|--|---------------------------|
| 193 / 54 | इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड संख्या 12/625 तथा 12/625/1 के मध्य स्थित 6 मीटर चौड़ी सड़क का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
|----------|--|---------------------------|

### प्रशासन अनुभाग

|          |  |                           |
|----------|--|---------------------------|
| 193 / 55 | परिषद कार्मिकों को 1 जुलाई, 2004 से शासकीय कर्मियों की भौति मैंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |
| 193 / 56 | परिषद कार्मिकों को 1 जनवरी, 2005 से शासकीय कर्मियों की भौति मैंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में। | प्रस्ताव स्थगित किया गया। |

### भूमि अर्जन अनुभाग

| मद सं०   | विषय  |   |
|----------|---|---|
| 193 / 57 | योजनाओं में सम्पत्तियों के पंजीकरण खोलने के सम्बंध में।   | निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार भूखण्डों के साथ-साथ भवनों के पंजीकरण की कार्यवाही की जाये। |
| 193 / 58 | मद सं० 14 पर प्रस्तुत सुल्तानपुर रोड योजना के सम्बन्ध में प्रस्तुत व्याख्यात्मक टिप्पणी के क्रम में अनुपूरक प्रस्ताव। | मद संख्या 14 पर निर्णय लिया जा चुका है।   |
| 193 / 59 | बलरामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बलरामपुर के सम्बन्ध में।  | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।   |
| 193 / 60 | अकबरपुर-आजमगढ़ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 अकबरपुर अम्बेडकर नगर के सम्बन्ध में।                      | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।   |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 193 / 61  | धौरुपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मिर्जापुर के सम्बन्ध में।  | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।   |
| 193 / 62. | बहराइच—भिन्ना मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराइच के सम्बन्ध में।  | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।   |
| 193 / 63. | पीलीभीत बाईपास भूमि एवं गृहस्थान योजना संख्या—7 बरेली के सम्बन्ध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया।   |
| 193 / 64  | परिषद की प्रस्तावित सुल्तानपुर रोड योजना में समाविष्ट भूमि के सम्बन्ध में सूर्यबक्ष पाल ट्रस्ट के प्रत्यावेदन पर शासनादेश संख्या—49 दिनांक 19.05.2006 द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में टिप्पणी | परिषद की 190 / 79 बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट जनसंख्या के दृष्टिगत मानकों के अनुरूप एक से अधिक महाविद्यालय /इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाना परिषद योजना में अनुमन्य एवं हित में है अतः परिषद द्वारा उक्त भूमि 12.48 को परिषद अधिनियम 1965 की धारा 31(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत छोड़े जाने का अनुमोदन किया गया। |
| 193 / 65  | जिगर विहार योजना मुरादाबाद स्थिति अल्प आय वर्ग भवन सं0—ए321 के विरुद्ध देय ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया।   |
| 193 / 66  | ट्रांस यमुना योजना प्रथम चरण आगरा में आवंटित अल्प आय वर्ग के भवनों का 10 प्रतिशत तत्काल शुल्क की धनराशि को माफ करने के सम्बन्ध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया।   |
| 193 / 67  | योजना संख्या—1 बुलन्दशहर में समाविष्ट श्री सुन्दर सिंह आदि की भूमि के सम्बन्ध में।   | प्रस्ताव स्थगित किया गया।   |
| 193 / 68  | डा० इन्डिस मुद्रगल के पक्ष में विकास नगर योजना लखनऊ में प्रदिष्ट भवन संख्या 10 / 45 के विरुद्ध देय धनराशि में से ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।  | प्रस्ताव स्थगित किया गया।   |
| 193 / 69  | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय   | (1) अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि ऐसी सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए दर फीज करने आदि के संबंध में परीक्षण करके योजना बनायी जाये और निस्तारण की प्रगति से निदेशक मण्डल   |

—5—

Mean

21 मई

को अवगत कराया जाये।

(2) प्रत्येक वर्ष सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व क्षेत्र विशेष में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत दर तथा सर्किल रेट आदि के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जाये।

(3) आवंटित सम्पत्तियों में नियमानुसार आरोपित साधारण ब्याज को माफ करने के प्रकरण बोर्ड बैठक में प्रस्तुत न करने तथा ऐसे प्रकरणों में सक्षम स्तर से निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)  
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(डॉ. ए.ए.ए.खान)  
आवास आयुक्त

(चित्रंजन स्वरूप)  
अध्यक्ष

(अध्यक्ष)